

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-17/2019/एन.जी.टी.-261/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2018
लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2018 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मा0 न्यायाधीश श्री देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा उपरोक्त गठित समिति को संशोधित करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया गया है-

- | | |
|--|---------------|
| i. मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह | -अध्यक्ष |
| ii. सचिव, नगर विकास विभाग | -सदस्य |
| iii. सचिव, पर्यावरण विभाग | -सदस्य |
| iv. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | -सदस्य |
| v. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | -सदस्य |
| vi. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| vii. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | -सदस्य संयोजक |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा गठित उपरोक्त अनुश्रवण समिति का कार्यकाल निम्नवत् निर्धारित किया गया है-

".....The Committees may work tentatively for six months or as may be found necessary."

(16)

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं किटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए मा0 अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे मा0 अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

4- उपरोक्त प्रस्तर-3 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 तथा प्रस्तर-1 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा अनुश्रवण समिति हेतु निर्धारित कार्यकाल के दृष्टिगत मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा गठित अनुश्रवण समिति को दिनांक 15.07.2019 से समाप्त माना जाएगा।

5- मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में प्रदेश में समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव

के

चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति गठित की जाती है—

- i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग —अध्यक्ष
- ii. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग —सदस्य
- iii. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग —सदस्य
- iv. प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग —सदस्य
- v. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण —सदस्य
- vi. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग —सदस्य
- vii. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन विभाग —सदस्य
- viii. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग —सदस्य
- ix. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग —सदस्य
- x. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग —सदस्य
- xi. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन —सदस्य
- xii. आयुक्त, वाणिज्यिक एवं मनोरंजन कर, उ०प्र० —सदस्य
- xiii. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र० लखनऊ —सदस्य
- xiv. सदस्य, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ —सदस्य
- xv. निदेशक, पर्यावरण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ —सदस्य
- xvi. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड —सदस्य
- xvii. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० —सदस्य
- xviii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ —सदस्य
- xix. निदेशक, नीरी, नागपुर द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक —विशेषज्ञ—सदस्य
- xx. निदेशक, आई०आई०टी०आर०, लखनऊ द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक —विशेषज्ञ—सदस्य
- xxi. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि —सदस्य
- xxii. सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन —समन्वयक

6— उपरोक्त बिन्दु सं०-5 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे—

1/6

- i. मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश तथा मा0 अधिकरण द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- ii. अपशिष्ट प्रबन्धन नियमवार समिति के कार्य दायित्व एवं Terms of References

अपशिष्ट प्रबन्धन नियम	कार्य दायित्व एवं Terms of References
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<ol style="list-style-type: none">i. स्थानीय निकायों में Bye Laws बनाये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।ii. प्रदेश में ठोस अपशिष्ट के डोर टू डोर एकत्रण एवं नियमानुसार सेग्रीगेशन की स्थिति।iii. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित व्यवस्था की उपयुक्तता का अनुश्रवण।iv. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित परन्तु बन्द पड़ी व्यवस्थाओं के पुर्नसंचालन की स्थिति का अनुश्रवण।v. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के समयबद्ध संचालन की स्थिति का अनुश्रवण।vi. इनर्ट वेस्ट हेतु प्रदेश में सेनेटरी लैण्डफिल स्थापना की स्थिति का अनुश्रवण।vii. Legacy Waste के सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यो की प्रगति एवं प्रस्तावित समय-सीमा की उपयुक्तता का अनुश्रवण।viii. बल्क वेस्ट जनरेटर्स द्वारा नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।ix. प्रदेश में अपशिष्ट की Burning & Littering नही किये जाने सम्बन्धी अनुपालन का अनुश्रवण।x. ठोस अपशिष्ट से निर्मित ईंधन आर0डी0एफ0 का प्रयोग ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम 18 के अनुसार उद्योगों में किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।xi. उच्च कैलोरिफिक अपशिष्टों का उपयोग सीमेन्ट किल्ल अथवा तापीय विद्युत संयंत्रों में किये जाने के अनुश्रवण।xii. नियम 22 के अन्तर्गत प्राविधानित समय-सीमा के सापेक्ष कार्यो की प्रगति।xiii. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा हेतु बफर जोन अधिसूचित किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।xiv. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।

ok

<p>अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016</p>	<ol style="list-style-type: none">i. स्थानीय निकायों में Bye Laws बनाये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।ii. प्रदेश में प्लास्टिक कैंरी बैग/कटलरी/थर्मोकोल उत्पाद पर नगर विकास विभाग के आदेश दिनांक 15.07.2017 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन का अनुश्रवण।iii. प्रदेश में अपशिष्ट प्लास्टिक के पृथक्करण, एकत्रण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं अन्तिम निस्तारण की स्थापित व्यवस्थाओं की उपयुक्तता का आंकलन तथा प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण।iv. रिसाइकिल हेतु उपयुक्त प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकलर्स तक भेजे जाने की व्यवस्था की स्थापना का अनुश्रवण।v. अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण, ऑयल के उत्पादन, ऊर्जा के उत्पादन में किये जाने की स्थिति।vi. प्लास्टिक अपशिष्ट के खुले में जलाये जाने पर प्रतिबन्ध के अनुपालन की स्थिति।vii. ब्राण्ड ओनर, प्रोड्यूसर द्वारा Extended Producer Responsibility के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा।viii. प्रदेश में प्रयुक्त मल्टी लेअर पैकेजिंग पर उत्पादन का नाम, पंजीकरण संख्या तथा मोटाई प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन की स्थिति।ix. प्रदेश में पंजीकृत प्रोड्यूसर, रिसाइकलर एवं मैनुफैक्चरर।x. खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं द्वारा मानकों के विपरित निर्मित प्लास्टिक उत्पाद नहीं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्राविधान के अनुपालन की स्थिति।xi. नियम-17 के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड को प्रेषित किये जाने का अनुश्रवण।xii. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।
<p>कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016</p>	<ol style="list-style-type: none">i. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन (सी0 एण्ड डी0) वेस्ट के नियमानुसार प्रबन्धन हेतु राज्य नीति बनाये जाने की स्थिति।ii. प्रदेश में स्थापित सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग संयंत्र के संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार प्रदान किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।iii. प्रदेश में सी0 एण्ड डी0 में वेस्ट की प्रोसेसिंग हेतु संयंत्र स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्थिति।iv. टाउन एण्ड कन्ट्री प्लैनिंग विभाग द्वारा सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग स्थल को महायोजना में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही का अनुश्रवण।

क

	<p>v. प्रदेश में प्रस्तावित सी० एण्ड डी० वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना की उपयुक्तता का आंकलन।</p> <p>vi. सी० एण्ड डी० वेस्ट से निर्मित मेटेरियल का प्रयोग सरकारी परियोजनाओं में 10 से 20 प्रतिशत किये जाने हेतु पी०डब्ल्यू०डी० के Schedule of Rates में दरें निर्धारित किया जाना।</p> <p>vii. स्थानीय निकायो द्वारा सी० एण्ड डी० वेस्ट के एकत्रण की व्यवस्था विकसित किये जाने की प्रगति।</p> <p>viii. निर्माण परियोजनाओं जिनसे जनित वेस्ट 20 टन/दिन से अधिक हो द्वारा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वेस्ट प्रबन्धन योजना स्थानीय निकायों से स्वीकृत कराये जाने की स्थिति।</p> <p>ix. स्थानीय निकायों द्वारा सी०एण्ड डी० वेस्ट एकत्रण की दरें अधिसूचित किये जाने की स्थिति।</p> <p>x. सेवा प्रदाताओ जिनके द्वारा जल, सिवरेज, टेलीफोन, सड़क, ड्रेनेज की सुविधा प्रदान की जाती हैं द्वारा विस्तृत वेस्ट प्रबन्धन योजना बनाये जाने एवं समस्त जनित सी० एण्ड डी० वेस्ट को दैनिक हटाये जाने सम्बन्धी कार्य स्थानीय निकायों से विचार-विमर्श कर सम्पादित किये जाने की समीक्षा।</p> <p>xi. स्थानीय निकायों द्वारा सी० एण्ड डी० वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु Information, Education & Communication System विकसित किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।</p> <p>xii. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
<p>जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016</p>	<p>i. जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार पृथक्करण श्रोत पर किये जाने का अनुश्रवण।</p> <p>ii. अपशिष्ट का नियमानुसार परिवहन, संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट शुद्धिकरण सुविधाओं में किये जाने तथा परिवहन हेतु बार-कोड व्यवस्था एवं जी०पी०एस० युक्त वाहनों का प्रयोग किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।</p> <p>iii. अपशिष्ट के निस्तारण हेतु स्थापित संयुक्त एवं कैप्टिव सुविधाओं में इन्सीन्टेर की तकनीक नियम 5 (q) के अनुसार उच्चिकृत किये जाने की स्थिति।</p> <p>iv. चिकित्सा सुविधाओं एवं संयुक्त उपचार सुविधाओं द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने की स्थिति।</p> <p>v. दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही का अनुश्रवण।</p>

10/10

	<p>vi. प्रदेश में स्थापित संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं के कार्यक्षेत्र आवंटित किये जाने हेतु नीति विषयक निर्णय।</p> <p>vii. प्रदेश में संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं द्वारा अपशिष्ट शोधन हेतु चिकित्सा सेवाओं से ली जाने वाली दरों में समरूपता रखे जाने हेतु नीति विषयक निर्णय।</p> <p>viii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की स्थिति।</p> <p>ix. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<p>i. राज्य में ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम के अनुपालन हेतु Integrated Plan बनाये जाने की स्थिति।</p> <p>ii. औद्योगिक क्षेत्रों में ई-वेस्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइक्लिंग सुविधाओं के लिए भूमि चिन्हिकरण अथवा आवंटन किये जाने की प्रगति।</p> <p>iii. श्रम विभाग द्वारा ई-वेस्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइक्लिंग कार्य से सम्बन्धित कार्मिकों का पंजीकरण किये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>iv. श्रम विभाग द्वारा ई-वेस्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइक्लिंग कार्य से सम्बन्धित कार्मिकों के वार्षिक स्वास्थ्य की जांच किये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>v. श्रम विभाग द्वारा कार्मिकों के लिए Skill Development Activity किये जाने की स्थिति।</p> <p>vi. राज्य में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत डिस्मेन्टलर एवं रिसाइक्लर्स।</p> <p>vii. ब्राण्ड ओनर्स तथा प्रोड्यूसर्स द्वारा Extended Producer Responsibility के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा।</p> <p>viii. ई-वेस्ट के अवैध प्रसंस्करण की स्थिति।</p> <p>ix. प्रदेश में Orphan E-waste की स्थिति तथा क्या उक्त वेस्ट प्राधिकृत रिसाइक्लर्स को स्थानीय निकायों द्वारा प्रेषित किया गया है।</p> <p>x. प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट में ई-वेस्ट मिश्रित होने की स्थिति तथा ऐसा पाये जाने पर क्या स्थानीय निकायों द्वारा उक्त को पृथक्कृत कर प्राधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।</p> <p>xi. ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
परिसंकटमय	<p>i. प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वर्तमान</p>

क

अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<p>में स्थापित टी0एस0डी0एफ0 (संयुक्त उपचार एवं निस्तारण सुविधाएं) द्वारा नियमों के अनुरूप संचालन की स्थिति।</p> <p>ii. प्रदेश में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 की समीक्षा एवं समयबद्ध स्थापना एवं संचालन की योजना का अनुश्रवण।</p> <p>iii. प्रदेश में अवैध रूप से निस्तारित परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्य की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>iv. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
-----------------------------	---

- iii. राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन अनुश्रवण समिति प्रदेश में समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।
- iv. राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन अनुश्रवण समिति द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।


संख्या-17/2019/एन.जी.टी.-261/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 तदुदिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह), ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में गठित अनुश्रवण समिति।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/पशुधन/श्रम/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/गृह/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

क/

5. आयुक्त, वाणिज्यिक एवं मनोरंजन कर, उ०प्र० लखनऊ।
6. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
11. सदस्य, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
12. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।
13. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०, लखनऊ।
14. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
15. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
16. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।
17. निदेशक, नीरी, नागपुर द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक।
18. निदेशक, आई०आई०टी०आर०, लखनऊ द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।